Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना..........................

वीरीसिंह आदि..............................बनाम .... अमृतसिंह वगै..............................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं..............................सन 159/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14/7/25	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम शेखपुर तहसील बयाना में डौल मेडों को तोडकर कब्जा नहीं करें। कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। नाकाबिल काश्त नहीं बनावें। शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थीगण को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.09.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम शेखपुर तहसील बयाना में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये साधारण/~~रजिस्टर्ड~~ डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.09.2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज	
12/9/25	[illegible] जवाब अप्रार्थी पेश हुआ। पत्रावली वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29/9/25 को पेश हो [signature]	

9/10/25 पीठासीन अधिकारी .... श्रीमान .... को पेश है।
पत्रावली
10/10/25
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

10/10/25 पीठासीन अधिकारी .... श्रीमान शिविर में पधारे।
पत्रावली पूर्वानुसार .... को पेश है।
27/10/25
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

27/10/25 प्रकरण पेश हुआ। वकुलाय उपस्थित प्रकरण में दर० मौका कमीशन वादी द्वारा पेश की गई। प्रकरण वास्ते जवाब बहस हेतु 27/11/25 को पेश हो।

27/11/25 पीठासीन अधिकारी .... शीतकार्य में .... है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक .... 3/12/25 को पेश है।
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

3/12/25 प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में वकुलाय उपस्थित प्रकरण में दर० मौका कमीशन व अन्तरिम स्थगन आदेश पर बहस सुनी गई। प्रकरण वास्ते आदेश दि० 18/12/25 को पेश हो।

18/12/25 प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत मौका कमीशनर दर० को आंशिक स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 1201 तथा 1202/1873 वाके ग्राम शेखपुर तह० बयाना की वादी के खर्चे पर सीमा निर्धारित करने हेतु तहसीलदार बयाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को लिखा जावे।	
	प्रकरण में आदेशिका दिनांक 14/7/2025 से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश इसी स्तर पर खारिज किये जाते हुए पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।	
	उप खण्ड अधिकारी [illegible] राज.	